

10/11/12

पत्रावली पेश हुई, चूंकि मूल दावा रुपावली
में खारीज किया गया है। अतः यह प्रार्थना कि
पु/स 212 RTI थी व.प. रि-5 CPC के तहत रुपावली
में खारीज किया गया है। पत्रावली के प्रथम सुम
बैक बाद अपील वद हो